In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-19/2022

13/04/2022	वादी की ओर से एक आवेदन पत्र U/O-6 Rule-17 R/W Sec 151 C.P.C. दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि वाद में संशोधन की अनुमति दी जाए क्योंकि संशोधन आवेदन पत्र साधारण प्रकृति का है। वाद पत्र में संशोधन से इसक मूल प्रकृति में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद अभी ग्रहण नहीं किया गया है तथा वाद सिरिस्तेदार प्रतिवेदन हेतु चला आ रहा है। यानी वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र साधारण प्रकृति का है। वाद में संशोधन से इसके मूल प्रकृति में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा तथा आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/O-6 Rule-17 R/W Sec 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी संशोधन आवेदन पत्र के आलोक में वाद पत्र में आदेशानुसार संशोधन करें। वाद दिनांक 22.04.22 वास्ते प्रस्तुत करे। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी